पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 8/2020

अनवान : -

सुभाषचन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी भनाई तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. फकीरचन्द पुत्र गोकुलराम जाति नाई निवासी भनाई तहसील भादरा।
2. मैनादेवी पत्नी रिशालराम जाति नाई निवासी भनाई तहसील भादरा।
3. राजेश पुत्र रिशालराम जाति नाई निवासी भनाई तहसील भादरा।
4. सुनील पुत्र रिशालराम जरिये माता मैनादेवी पत्नी रिशालराम जाति नाई निवासी भनाई तहसील भादरा।
5. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
6. आरएमजीबी शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड तथा वकील प्रतिवादीगण श्री प्रेम प्रकाश की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तूत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मोजा भनाई के खाता सं0 234/205 के खसरा सं0 375/1, 396/1, 397/1 कुल 4.5790है0 व रोही भनाई के खाता सं0 513/188 के खसरा सं0 375/2, 397/2 कुल 4.5910है0 बारानी खातेदारी भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा पत्र क्रमांक 2538 दिनांक 21.06.2022 को मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा व विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मोजा भनाई का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एव खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मोजा भनाई

हिस्सा फकीरचन्द पुत्र गोकल कौम नाई साकिन भनाई खातेदार - रोही मौजा भनाई के ख0स0 375/1 रकबा 1.442है0, ख0स0 396/1 रकबा 0.304है0, ख0स0 397/1 रकबा 1.593है0, ख0स0 397/4 रकबा 1.246 किता 4 कुल रकबा 4.585है0 बारानी ।

Scanned with CamScanner

मे उक्त खसरा सं0 397 की 3.149है0 भूमि का प्रतिवादी सं0 1 फकीरचंद से अलग खाता कायम करवा विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता आदि का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मोजा भनाई के खाता सं0 234/205 के खसरा सं0 375/1, 396/1, 397/1 कुल 4.5790है0 व रोही भनाई के खाता सं0 513/188 के खसरा सं0 375/2, 397/2 कुल 4.5910है0 बारानी खातेदारी भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा पत्र क्रमांक 2538 दिनांक 21.06.2022 को मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रंगदार नक्शा व विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मोजा भनाई का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मोजा भनाई

हिस्सा फकीरचन्द पुत्र गोकल कौम नाई साकिन भनाई खातेदार :- रोही मौजा भनाई के ख0स0 375/1 रकबा 1.442है0, ख0स0 396/1 रकबा 0.304है0, ख0स0 397/1 रकबा 1.593है0, ख0स0 397/4 रकबा 1.246 किता 4 कुल रकबा 4.585है0 बारानी ।

मैनादेवी पत्नी रिसालाराम 2/5 हि0, राजेश कुमार, सुनिल कुमार पि0 रिसालाराम 1/10 हि0, सुभाष पुत्र नत्थुराम 1/2 हि0 कौम नाई साकिन भनाई खातेदार :- रोही मौजा भनाई के ख0स0 375/2 रकबा 1.442है0, ख0स0 397/3 रकबा 1.897है0, ख0स0 397/2 रकबा 1.246है0 किता 3 कुल रकबा 4.585है0 बारानी ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के बाद खाता तकशीम किया जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ।

Scanned with CamScanner